

## विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
<b>मैनुअल संख्या-1</b>		
1.	हस्तपुस्तिका में प्रयोग की गयी शब्दावली की परिभाषाएं	1-2
2.	डेशी विकास विभाग, उत्तराखण्ड : संक्षिप्त परिचय	2-3
3.	संगठन के उद्देश्य, मिशन/विजन, कृत्य, कर्तव्य	3-4
4.	विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं का विवरण	5-6
5.	विभाग का संक्षिप्त इतिहास	6-9
6.	विभागीय संगठनात्मक ढांचा एवं स्वीकृत/कार्यरत व रिक्त पदों की अद्यतन स्थिति	10-14

## 1. परिभाषाएँ (हस्तपुस्तिका में प्रयोग की गयी शब्दावली को परिभाषित करें)–

- (1) "अधिनियम" का तात्पर्य, उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 2003 (अधिनियम संख्या–05, 2003) से है।
- (2) "नियम" का तात्पर्य, उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली 2004 से है।
- (3) "उपविधि" का तात्पर्य, किसी सहकारी समिति की तत्समय प्रचलित निबन्धित उपविधि से है।
- (4) "दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ नियमन आदेश 1992" का तात्पर्य, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–3 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा लागू तत्सम्बन्धी आदेश से है।
- (5) "सहकारी समिति" का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन निबन्धित या निबन्धित समझी जाने वाली किसी समिति से है।
- (6) "दुग्ध समिति" का तात्पर्य, ग्राम स्तर पर गठित दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति से है जिसकी साधारण सदस्यता किसी अन्य सहकारी समिति के लिए सुलभ न हो एवं निबन्धक द्वारा अनुमोदित उपविधियों के अनुसार पंजीकृत हो।
- (7) "दुग्ध संघ" का तात्पर्य, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी समिति से है जो उत्तराखण्ड सहकारी अधिनियम 2003 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के रूप में निबन्धित हो।
- (8) "डेरी फेडरेशन" का तात्पर्य, उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन लि0, हल्द्वानी, नैनीताल से है।
- (9) "निबन्धक" का तात्पर्य, निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियां (निदेशक), डेरी विकास उत्तराखण्ड अथवा डेरी विकास विभाग के वे राजपत्रित अधिकारी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निबन्धक के पूर्ण अथवा कुछ अधिकार प्रदत्त किये गये हैं, से है।
- (10) "प्रबन्ध समिति" का तात्पर्य, उस समिति की प्रबन्ध समिति से है, जिसका संगठन उपविधियों के अनुसार किया गया हो और उसे अधिनियम की धारा–29 के अधीन समिति के कार्यों का प्रबन्ध सौंपा गया हो।
- (11) "दुग्ध उत्पादक" का तात्पर्य, उस व्यक्ति विशेष है जो स्वयं दुधारू पशुओं (गाय/भैंस) का मालिक हो और स्वयं ही समिति के कार्य क्षेत्र में रहकर दुधारू पशुओं की देखभाल करता हो तथा दुधारू पशुओं से उत्पादित दुग्ध या दुग्ध पदार्थ का कार्य करता हों।
- (12) "सदस्य" का तात्पर्य, साधारण सदस्य से है।

- (13) "मध्यस्थ (आर्बीट्रेट्स)" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो निबन्धक द्वारा उसका अभिदिष्ट विवादों का निर्णय करने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया हो।
- (14) "राज्य सरकार" का तात्पर्य, उत्तराखण्ड सरकार से है।

**नोट—** इस हस्तपुस्तिका में प्रयोग किये गये अपरिभाषित शब्दों का तात्पर्य उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम-2003, सहकारी समिति नियमावली-2004 एवं उपविधियों में परिभाषित शब्दों से होगा।

## 2. डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड : संक्षिप्त परिचय:—

ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियां गठित करते हुए दुग्ध उत्पादकों को वर्ष पर्यन्त दूध विपणन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा नगरीय क्षेत्रों में उपभोक्ताओं /पर्यटकों/तीर्थयात्रियों /संस्थाओं को उचित दर पर उच्च गुणवत्ता के दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में डेयरी विकास विभाग महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकों को ग्राम स्तर पर तकनीकी सुविधाएं यथा रियायती दर पर संतुलित पशुआहार, पशुस्वास्थ्य सेवाएं, चारा विकास व प्रशिक्षण तथा दुधारू पशु क्रयार्थ ऋण व अनुदान आदि की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

डेरी विकास विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक एवं सामाजिक समस्याओं के अनुरूप दुग्ध सहकारिताओं के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में ग्रामीण पशुपालकों/दुग्ध उत्पादकों को सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध व्यवसाय की तरफ आकर्षित करने की पहल की गयी, परन्तु यह अनुभव किया गया कि जब तक दुग्ध प्रसंस्करण का आधारभूत ढांचा तैयार न कर लिया जाये तब तक दुग्ध उत्पादकों को उनके दुग्ध का उचित मूल्य भुगतान सुनिश्चित नहीं कराया जा सकता। अतः आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्व में स्थापित लालकुंआ(नैनीताल) अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व देहरादून की दुग्धशालाओं का पुर्नगठन, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण किया गया। श्रीनगर (गढ़वाल), टिहरी, चमोली व उत्तरकशी में दुग्धशाला की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया गया जो नवीं पंचवर्षीय योजना काल में भी जारी रहा। इसके अतिरिक्त नये अवशीतन केन्द्रों का निर्माण व पुराने अवशीतन केन्द्रों का सृदृढीकरण, पुर्नगठन व विस्तारीकरण भी किया गया। वर्तमान में 7 दुग्धशालायें व 11 दुग्ध अवशीतन केन्द्र तथा 39 बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना की जा चुकी है। जनपद उधमसिंहनगर में एक 100 मै0 टन दैनिक क्षमता की पशुआहार निर्माणशाला की भी स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से उत्तम गुणवत्ता का संतुलित पशुआहार उत्पादित कर दुग्ध सहकारिताओं में विक्रय किया जा रहा है।

### 2.1 प्रदेश में डेयरी विकास विभाग एक दृष्टि में:—

- ❖ 11 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, गठित एवं कार्यरत।
- ❖ 09 दुग्धशालाएं, जिनकी दैनिक क्षमता 2.05 लाख ली0 प्रतिदिन।
- ❖ 11 दुग्ध अवशीतन केन्द्र, जिनकी क्षमता 0.71 लाख ली0 प्रतिदिन।
- ❖ 39 बल्क मिल्क कूलर की स्थापना जिनकी क्षमता 0.74 लाख ली0 प्रतिदिन।
- ❖ 100 मै0टन क्षमता की पशुआहार निर्माणशाला।
- ❖ 140 दुग्ध मार्गों पर 3072 दुग्ध समितियां गठित।
- ❖ 1.24 लाख दुग्ध उत्पादक सदस्यों की प्रत्यक्ष भागीदारी।
- ❖ 772 महिला दुग्ध समितियां जिनमें 0.31 लाख महिलाओं की भागीदारी।

- ❖ महिला दुग्ध समितियों में 812 स्वयं सहायता समूहों का गठन।
- ❖ 1.32 लाख ली० दूध प्रतिदिन उर्पाजित (वार्षिक औसत)।
- ❖ 1.29 लाख ली० दूध प्रतिदिन नगर विक्रय (वार्षिक औसत)।

## 2.2 जनपदवार डेयरी प्लान्टों का विवरण:-

क्र.सं.	नाम दुग्ध संघ	निबन्धन संख्या	निबन्धन तिथि	दुग्धशाला की क्षमता ली./दिन	दुग्ध अवशीतन की क्षमता ली./दिन	बल्क मिल्क कूलिंग क्षमता ली०/दिन
1.	नैनीताल	524	16-10-49	50000	5000	14000
2.	उधमसिंहनगर	250	08-06-99	50000	40000	29000
3.	1. अल्मोड़ा	741	17-07-54	20000	9000	000
	2. वागेश्वर					2000
4.	पिथौरागढ़	101	09-03-70	5000	2000	1000
5.	चम्पावत	100	09-05-98		5000	1000
6.	देहरादून	535	12-03-56	20000		3000
7.	1. पौड़ी	1508	27-12-91	20000	5000	4000
	2. रूद्रप्रयाग					2000
8.	टिहरी	17	22-09-89	5000		4000
9.	चमोली	15	24-10-89	5000		4000
10.	उत्तरकाशी	13	31-03-89		5000	2000
11.	हरिद्वार	104	04-10-2006	30000		7000
	योग	-	-	205000	71000	74000

## 3. संगठन के उद्देश्य, मिशन/विजन, कृत्य, कर्तव्य:-

### 3.1 संगठन के उद्देश्य:-

- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियां गठित करते हुए दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना।
- ❖ विभिन्न उपभोक्ताओं को उचित दर पर स्वच्छ दूध एवं दूध पदार्थ की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

### 3.2 डेरी विकास का मिशन/विजन:-

- ❖ ग्रामीण स्तर पर कृषकों को दुग्ध उत्पादन के माध्यम से अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराना।
- ❖ दुग्ध सहकारिताओं के माध्यम से स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना।
- ❖ नीति निर्धारण में दुग्ध उत्पादकों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना।
- ❖ दुग्ध सहकारी समितियों को स्वावलम्बी इकाई बनाने हेतु हर सम्भव प्रयास करना।


- ❖ असंगठित क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध सहकारी समितियों से जोड़ना।
- ❖ तकनीकी निवेश सेवाओं का विस्तार करते हुए दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु सतत प्रयास करना।
- ❖ स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु कार्यवाही करना।
- ❖ नियोजित क्षेत्र में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार करना।
- ❖ नगरीय उपभोक्ताओं को उचित दर पर स्वच्छ एवं पौष्टिक दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित कराना।

### 3.3 डेरी विकास विभाग के कर्तव्य:-

- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों की सहकारी समितियां गठित करते हुए उन्हें उनके द्वारा उत्पादित दूध की गुणवत्ता के आधार पर उचित कीमत दिलाना।
- ❖ ग्राम स्तर पर स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराना।
- ❖ दुग्ध उत्पादकों को बिचौलियों के शोषण से बचाना।
- ❖ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- ❖ नगरीय क्षेत्रों की ओर हो रहे पलायन में कमी लाना।
- ❖ उचित दर पर शुद्ध दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- ❖ पशुस्वास्थ्य सेवायें, टीकाकरण व संतुलित पशुआहार की आपूर्ति करते हुए दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु सतत प्रयास करना।
- ❖ दुग्ध उत्पादकों को समय-समय पर पशुपालन, चाराविकास, दुग्ध उत्पादन व स्वच्छ दुग्ध उत्पादन आदि की नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना।

### 3.4 कृत्यों के निर्वहन हेतु विभागीय कार्यप्रणाली:-

डेरी विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं का संचालन "आनन्द प्रणाली" पर आधारित त्रिस्तरीय पद्धति पर किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश स्तर पर गठित उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन द्वारा अपने विभिन्न सदस्यों दुग्ध संघों के माध्यम से योजनाओं का लाभ प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है, जैसा कि निम्न से स्पष्ट है।



#### 4. विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं का संक्षिप्त विवरण:-

##### 4.1 विभाग द्वारा शासकीय सहायता के समक्ष जनपदीय दुग्ध संघों के माध्यम से निम्नवत सेवाएं प्रदान की जा रही हैं:-

1. **ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियों का गठन-** दुग्ध समितियों के गठन हेतु विभिन्न मद अन्तर्गत प्रत्येक दुग्ध समिति को प्रथम तीन वर्षों में क्रमशः 40, 08, 05 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
2. **प्राथमिक पशुचिकित्सा-** यह सेवा प्रत्येक समिति सदस्य हेतु निःशुल्क उपलब्ध है।
3. **पशु टीकाकरण-** यह सेवा प्रत्येक समिति सदस्य हेतु निःशुल्क उपलब्ध है।
4. **डिवरमिंग-** यह सेवा प्रत्येक समिति सदस्य हेतु निःशुल्क उपलब्ध है।
5. **प्रशिक्षण-** दुग्ध उत्पादकों को पशुपालन, चारा विकास, कौशल-उच्चीकरण, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन आदि की नवीनतम तकनीकी जानकारी सहित प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है।
6. **चारा बीज-** दुग्ध उत्पादकों को चारा बीज वितरण निःशुल्क दिया जाता है।
7. **संतुलित पशुआहार-** दुग्ध उत्पादकों को लाभ-हानि रहित व्यवस्था के अन्तर्गत रियायती दरों पर संतुलित पशुआहार की आपूर्ति।
8. **दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति-** नगरीय उपभोक्ताओं /पर्यटकों/तीर्थ यात्रियों एवं विभिन्न संस्थाओं को उचित दर पर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति की जाती है।
9. **सघन मिनी डेरी योजना अन्तर्गत दुधारू पशु क्रय-** दो दुधारू पशु क्रयार्थ 30 हजार रुपये बैंक ऋण एवं 8580 रुपये अनुदान तथा 1500 रुपये लाभार्थी मार्जिन मनी की व्यवस्था है। इस प्रकार प्रति मिनी डेरी की लागत 40080 रुपये है।
10. **महिला डेरी परियोजना-** महिला दुग्ध समितियों में बचत की भावना जागृत करने एवं अतिरिक्त आय के साधन सृजित करने हेतु स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है। प्रत्येक समूह को अधिकतम 10 हजार रुपये की दर से मैचिंग-ग्रान्ट उपलब्ध करायी जाती है।
11. **दुग्ध सहकारी समितियों का निबन्धन-** दुग्ध सहकारी समितियों का कार्य सन्तोषजनक होने पर उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम-2003 के अन्तर्गत दुग्ध समितियों का निबन्धन किया जाता है।

##### 4.2 विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची:-

क्र. सं.	सेवा का नाम	सेवा का विवरण	सेवा हेतु किससे सम्पर्क करना है	सर्विस चार्ज यदि कोई हो	सेवा प्रदान किए जाने हेतु अधिकतम समय	शिकायत यदि कोई हो, किससे करें	शिकायत दूर करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियों का गठन	दुग्ध समितियों के गठन हेतु प्रथम तीन वर्षों तक प्रत्येक दुग्ध समिति को क्रमशः 33.7, 08 व 5.8 हजार रु० की सहायता प्रदान की जाती है।	जनपदीय दुग्ध संघ के प्रबन्धक / प्रधान	निःशुल्क	1 माह	जनपदीय सहायक निदेशक, डेरी विकास	एक सप्ताह

			प्रबन्धक				
2.	प्राथमिक पशुचिकित्सा	यह सेवा समिति सदस्यों हेतु उपलब्ध।	तदैव	निःशुल्क	तुरन्त	तदैव	तदैव
3.	पशुटीकाकरण	तदैव	तदैव	तदैव	3 दिन	तदैव	तदैव
4.	डिवरमिंग	तदैव	तदैव	तदैव	1 दिन	तदैव	तदैव
5.	प्रशिक्षण	तदैव	तदैव	तदैव	1 माह	तदैव	तदैव
6.	चाराबीज वितरण	तदैव	तदैव	तदैव	1 सप्ताह	तदैव	तदैव
7.	संतुलित पशुआहार की आपूर्ति	तदैव	तदैव	लाभ-हानि रहित सेवा	1 दिन	तदैव	तदैव
8.	दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति	पर्यटकों/तीर्थयात्रियों व उपभोक्ताओं को उचित दर पर दूध एवं दुग्ध पदार्थ उपलब्ध	तदैव	तदैव	1 दिन	तदैव	तदैव
9.	सघन मिनी डेरी योजनान्तर्गत दुधारू पशु क्रय	2 दुधारू पशु क्रयार्थ 30 हजार बैंक ऋण व 8580 रु0 अनुदान तथा 1500 रु0 लाभार्थी मार्जिन मनी की व्यवस्था। प्रति मिनी डेरी योजना लागत 40080 रु0	तदैव	निःशुल्क	बैंक ऋण स्वीकृति के अधीन	तदैव	तदैव
10.	दुग्ध सहकारी समितियों का निबन्धन	समितियों का कार्य संतोषजनक होने पर निबन्धन की व्यवस्था।	तदैव	500 रु0	1 माह	तदैव	तदैव

## 5. डेरी विकास विभाग का संक्षिप्त इतिहास—

वर्ष

विवरण

- 1947 — उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग के अधीन दुग्ध विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया।
- 1949 — नैनीताल (हल्द्वानी) दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का गठन किया गया।
- 1954 — अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का गठन किया गया।
- 1956 — देहरादून दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का गठन किया गया।
- 1962 — देहरादून व लालकुंआ में डेरी प्लान्ट की स्थापना कर क्रमशः देहरादून दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ व नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को सौंपे गये।
- 1970 — पिथौरागढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ एवं कोटद्वार (गढ़वाल) दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का गठन किया गया।
- 1976 — सहकारिता विभाग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध विकास विभाग की एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापना की गयी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976 पारित किया गया तथा 30.12.76 राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गयी।

- उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद के सचिव एवं दुग्ध विकास विभाग के विभागाध्यक्ष **“दुग्ध आयुक्त”** को सहकारी समिति अधिनियम एवं उसके संगत नियमों के अन्तर्गत दुग्ध सहकारी समितियों के निबन्धक के अधिकार प्रदत्त किये गये।
- दुग्ध अवशीतन केन्द्र पिथौरागढ़ एवं कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) की स्थापना की गयी।
- 1983 – देहरादून की दुग्धशाला का सुदृढीकरण कार्य प्रारम्भ किया गया।
- 1984 – लालकुआ (नैनीताल) व अल्मोड़ा की दुग्धशालाओं का सुदृढीकरण कार्य प्रारम्भ किया गया।
- 1985 – कोटद्वार दुग्ध अवशीतन केन्द्र का सुदृढीकरण कार्य प्रारम्भ किया गया।
- अल्मोड़ा जनपद में ताड़ीखेत दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना की गयी।
- 1989 – टिहरी व चमोली दुग्ध संघों का गठन किया गया।
- 1990 – उत्तरकाशी दुग्ध संघ का गठन किया गया।
- बीस हजार लीटर क्षमता के बाजपुर (उद्यमसिंहनगर) अवशीतन केन्द्र की स्थापना की गयी।
- 1991 – श्रीनगर(गढ़वाल) में बीस हजार लीटर क्षमता की फीडर बैलेसिंग डेरी की स्थापना की गयी।
- कोटद्वार दुग्ध संघ का निबन्धन निरस्त करते हुए क्षेत्र की दुग्ध समितियों को गढ़वाल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ से सम्बद्ध किया गया।
- नैनीताल जनपद में भ्रूण प्रत्यारोपण स्टेट सेन्टर लालकुआ की स्थापना की गयी।
- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी के पद के सृजन के साथ-साथ उन्हें विभागाध्यक्ष एवं दुग्ध सहकारिताओं के निबन्धक का अधिकार प्रदत्त किया गया।
- 1992 – रुद्रपुर (उद्यमसिंहनगर) में 100 मैटन दैनिक क्षमता की पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना की गयी।
- खटीमा में दस हजार लीटर क्षमता के दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना की गयी।
- 1994 – ताड़ीखेत दुग्ध अवशीतन केन्द्र की विस्तारीकरण कर उसकी क्षमता 2 से बढ़ाकर 5 हजार लीटर की गयी।
- बागेश्वर दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना की गयी।
- 1995 – चम्पावत दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना की गयी।
- 1996 – पिथौरागढ़ दुग्ध संघ का विस्तारीकरण प्रारम्भ किया गया।
- 1997 – अल्मोड़ा जनपद में चौखुटिया दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना की गयी।
- अल्मोड़ा जनपद में मारचूला दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना की गयी।
- 2001 – सिमली(कर्णप्रयाग)में चिलिंग सेन्टर का कार्य प्रारम्भ हुआ।
- उत्तरकाशी चिलिंग सेन्टर का कार्य प्रारम्भ हुआ।
- 2001 – इच्छुक समिति सदस्यों को दुधारु पशु उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा तीन वर्षीय सघन मिनी डेरी परियोजना स्वीकृत एवं कार्य प्रारम्भ।
- विभाग की पुनर्संरचना की गई तथा मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी का पद का नाम परिवर्तित करते हुए इसे निदेशक, डेरी विकास घोषित किया गया। निदेशालय का मुख्यालय श्रीनगर (गढ़वाल) के स्थान पर हल्द्वानी (नैनीताल) में स्थापित करने का निर्णय हुआ तथा निदेशक को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया।
- उत्तराखण्ड शासन के अपर सचिव (दुग्ध) को पदेन **दुग्ध आयुक्त** घोषित किया गया।
- उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन का गठन किया गया। दुग्ध आयुक्त को फेडरेशन का पदने प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक को पदने मुख्य महाप्रबन्धक घोषित किया गया।



- 2002 – कृषि विविधिकरण परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ/योजना का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु प्रेरित एवं प्रशिक्षित करना है। प्रथम चरण में यह योजना जनपद देहरादून, उद्यमसिंहनगर, नैनीताल, उत्तरकाशी तथा अल्मोड़ा में लागू की गई है।
- 2002 – हरिद्वार जनपद हेतु महिला डेरी विकास परियोजना स्वीकृत एवं क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया।
- उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों में दूध की गुणवत्ता पर नियंत्रण व भण्डारण क्षमता में वृद्धि हेतु 6 मिनी चिलिंग प्लान्टों (बल्क मिल्क कूलर) की स्थापना की गई।
- 2003 – कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19.11 करोड़ रू० की समन्वित डेरी विकास योजना जनपद नैनीताल, उद्यमसिंहनगर, देहरादून एवं हरिद्वार हेतु स्वीकृत की गयी। योजना का कार्यकाल वर्ष 2002–03 से वर्ष 2006–07 तक निर्धारित किया गया।
- 2003 – जिला सेक्टर योजनान्तर्गत प्रदत्त सहायता के समक्ष 4 बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना की गयी।
- 2003 – जनपद हरिद्वार व उद्यमसिंहनगर में क्रमशः 30 व 50 हजार लीटर दैनिक क्षमता की दुग्धशालाओं की स्थापना का कार्य प्रारम्भ।
- 2003 – उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन लि० तथा मदर डेरी फूड्स लि० नई दिल्ली (एन०डी०डी०बी० की इकाई) द्वारा मिलकर **“ऑचल मिल्क फूड्स लि०”** नामक संयुक्त उपक्रम का गठन।
- 2004 – संयुक्त उपक्रम **“ऑचल मिल्क फूड्स लि०”** द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ।
- डेरी विकास विभाग में पदों की पुर्नसंरचना की गई। विभाग हेतु कुल 205 पद स्वीकृत किये गये। दुग्ध आयुक्त का पदनाम परिवर्तित करते हुए इसे निदेशक, डेरी विकास एवं विभागाध्यक्ष घोषित किया गया।
  - सघन मिनी डेरी योजना का 5 वर्ष हेतु विस्तारीकरण स्वीकृत। योजनान्तर्गत 7450 मिनी डेयरी स्थापना का लक्ष्य।
  - 10 बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना।
- 2005 – संयुक्त उपक्रम ऑचल मिल्क फूड लि० द्वारा मार्च, 2005 से विपणन कार्य समाप्त किया गया।
- खटीमा डेरी में दुग्ध अवशीतन कार्य प्रारम्भ।
  - जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में दुग्ध विकास कार्यक्रमों के सदृढीकरण हेतु समन्वित डेरी विकास योजना (द्वितीय चरण) अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ। योजनान्तर्गत 5 वर्षों में 532.75 लाख रुपये परिव्यय स्वीकृत।
  - स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में नैनीताल जनपद के रामनगर विकासखण्ड अन्तर्गत स्थित मालधन चौड़ क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु मालधन चौड़क्षेत्र डेयरी विकास योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ।
  - स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, उद्यमसिंहनगर एवं देहरादून में पशुपोषण एवं संर्वधन योजना का क्रियान्वयन।
  - अल्मोड़ा दुग्धशाला की क्षमता विस्तार हेतु कार्यवाही प्रारम्भ।
- 2006 – खटीमा में 50 हजार ली० दैनिक क्षमता की दुग्धशाला की स्थापना पूर्ण।
- नैनीताल दुग्धशाला में राज्य स्तरीय डेरी शोध एवं विकास केन्द्र की स्थापना पूर्ण।
  - हरिद्वार जनपद में 30,000 ली० प्रतिदिन के दुग्ध संघ का 04.10.2006 को गठन।

### विभाग की कार्य दक्षता बढ़ाने हेतु जन सहयोग से अपेक्षायें:-

- ❖ सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुये दुग्ध समितियों को आनन्द प्रणाली पर संचालित किये जाने हेतु पूर्ण सहयोग।
- ❖ अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं का पालन करते हुये दुग्ध समिति के माध्यम से दूध बिक्रय करना।
- ❖ दुग्ध समिति में स्वच्छ एवं शुद्ध दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- ❖ आंचल ब्राण्ड दूध एवं दुग्ध उत्पादों का उपभोग कर अपने जनपद की दुग्ध समितियों का सुदृढ़ी एवं स्वावलम्बी बनाने में सहयोग।
- ❖ दिये गये प्रशिक्षण/तकनीकी जानकारी को व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना।
- ❖ कठिनाईयों/शिकायतों के सामयिक निराकरण हेतु विभाग के संज्ञान में लाना।

### जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/व्यवस्था:-

- ❖ मुख्यालय हल्द्वानी(नैनीताल) एवं जनपद स्तर पर तैनात अधिकारियों द्वारा दुग्ध समितियों के भ्रमण दौरान जनता से सीधे संवाद किया जाता है।
- ❖ समिति स्तर पर विभागीय कर्मियों की उपस्थिति में प्रत्येक माह प्रबन्ध समिति की बैठकों का आयोजन किया जाता है।
- ❖ ब्लाक/तहसील स्तर पर आहूत होने वाली बैठकों में विभागीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गयी है।

### जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था:-

- ❖ दुग्ध वाहनों एवं कार्यालय स्तर पर शिकायत पेटिका की व्यवस्था।
- ❖ प्रत्येक स्तर पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु प्रभावी व्यवस्था।

### डेयरी सेक्टर के विकास हेतु राज्य की नीति:-

अभी तक अलग से कोई विभागीय नीति तैयार नहीं हुई है। कृषि नीति के अन्तर्गत डेयरी सेक्टर के विकास हेतु निम्नवत् नीतिगत बिन्दु निर्धारित किये गये हैं-

- ❖ तकनीकी निवेश सुविधाओ यथा-पशु स्वास्थ्य सेवा, नस्ल सुधार, चारा विकास, संतुलित पशुआहार तथा प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों का विस्तार।
  - ❖ दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार।
  - ❖ स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने हेतु सघन मिनी डेयरी परियोजना का विस्तार।
- दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ विपणन ढांचे का सुदृढ़ीकरण।

## 6. डेरी विकास विभाग का विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक ढांचा:—

6.1 डेरी विकास निदेशालय एवं नोडल कार्यालय, डेरी विकास विभाग (उत्तराखण्ड) हेतु स्वीकृत पदों का विवरण:—

शासनादेश संख्या-73/डेरी/2004 दिनांक 09 फरवरी, 2004 का संलग्नक।

क्र. सं०	नाम कार्यालय/जनपद	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	निदेशक, डेरी विकास विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)	1-निदेशक (विभागाध्यक्ष) आई०ए०एस०/पी०सी०एस० संवर्ग	1	16400-20000
		2. संयुक्त निदेशक (विभागीय)	1	12000-16500
		3. उपनिदेशक	2	10000-15200
		4. सहायक डेरी प्राविधिक अभियन्ता (प्रतिनियुक्ति पर)	1	8000-13500
		5. सहायक लेखाधिकारी	1	6500-10500
		6. लेखाकार	1	5000-8000
		7.सहायक लेखाकार सह-कम्प्यूटर आ०	2	4500-7000
		8. वैयक्तिक सहायक	1	5500-9000
		9. मुख्य लिपिक	1	5000-8000
		10.वरिष्ठ सहायक-सह कम्प्यूटर आ०	1	4500-7000
		11. वरिष्ठ लिपिक-सह कम्प्यूटर आ०	2	4000-6000
		12. कनिष्ठ लिपिक-सह कम्प्यूटर आ०	6	3050-4590
		13. आशुलिपिक-सह कम्प्यूटर आ०	1	4500-7000
		14. आशुलिपिक-सह कम्प्यूटर आ०	3	4000-6000
		15. लेखालिपिक-सह कम्प्यूटर आ०	1	4000-6000
		16. अन्वेषक-कम-संगणक	1	4500-7000
		17. चालक	5	3050-4590
		18. सहयोगी	8	2550-3200
		<b>योग:-</b>	<b>39</b>	
2-	नोडल कार्यालय डेरी विकास विभाग	1. उपनिदेशक	1	10000-15200
		2. लेखाकार	1	5000-8000

	उत्तराखण्ड			
	श्रीनगर-पौड़ी गढ़वाल	3. सहायक लेखाकार-सह कम्प्यूटर आ0	1	4500-7000
		4. मुख्य लिपिक	1	5000-8000
		5. वरिष्ठ सहायक-सह कम्प्यूटर आ0	1	4500-7000
		6. वरिष्ठ लिपिक-सह कम्प्यूटर आ0	2	4000-6000
		7. आशुलिपिक-सह कम्प्यूटर आ0	1	4000-6000
		8. कनिष्ठ लिपिक-सह कम्प्यूटर आ0	2	3050-4590
		9. चालक	1	3050-4590
		10. सहयोगी	2	2550-3200
		<b>योग:-</b>	<b>52</b>	


## 6.2 जनपदीय कार्यालयों हेतु स्वीकृत पदों का विवरण:-

शासनादेश सख्या- 73/डेरी/2004 दिनांक 09 फरवरी, 2004 का संलग्नक।


डेरी विकास उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

क्र.स.	पदनाम	वेतनमान	दे0दून	हरिद्वार	नैनीताल	उधमसिंहनगर	उत्तरकाशी	टिहरी	पौड़ी	रूद्रप्रयाग	चमोली	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा	बागेश्वर	चम्पावत	योग
1.	सहायक निदेशक	8000-13500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
2.	वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक	5000-8000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
3.	दुग्ध निरीक्षक	4500-7000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	25
4.	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	3200-4900	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	50
5.	लेखा लिपिक-सह कम्प्यूटर आ0	4000-6000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
6.	कनिष्ठ लिपिक-सह कम्प्यूटर आ0	3050-4590	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
7.	चालक	2550-3200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
8.	सहयोगी		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
	<b>योग</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>153</b>

## 6.3

विभागीय ढांचा (मुख्यालय स्तर)विभागीय ढांचा (जनपद स्तर)

सहायक निदेशक/प्रबन्धक, दुग्ध संघ



6.4 डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड में स्वीकृत/कार्यरत व रिक्त पदों की अद्यतन स्थिति:-

(माह-जून, 2009 तक)

सं.	पद विवरण	वेतनमान	स्वीकृत पदों का विवरण	कार्यरत पदों का विवरण	रिक्त पदों का विवरण	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	निदेशक	16400-20000	1	1	0	
2.	संयुक्त निदेशक	12000-16500	1	0	1	
3.	उपनिदेशक	10000-15200	3	2	1	
4.	सहायक निदेशक	8000-13500	13	9	4	
5.	दुग्धशाला प्राविधिक अभियंता	8000-13500	1	0	1	
6.	सहायक लेखाधिकारी	7450-11500	1	1	0	
7.	वैयक्तिक सहायक	5500-9000	1	1	0	
8.	लेखाकार	5500-9000	4	3	1	एक लेखाकार का पद 80:20 के आधार पर भरा जायेगा।
9.	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-1)	5500-9000	1	1	0	
10.	प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-2)	5000-8000	2	2	0	
11.	वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक	5000-8000	13	13	0	
12.	दुग्ध निरीक्षक	4500-7000	25	23	2	
13.	राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	3200-4900	50	27	23	
14.	मुख्य सहायक	4500-7000	7	7	0	
15.	प्रवर सहायक	4000-6000	9	8	1	
16.	सहायक लेखाकार	4500-7000	15	6	9	एक सहायक लेखाकार का पद 80:20 के अन्तर्गत लेखाकार में उच्चिकृत होगा।
17.	अन्वेषक-कम-संगणक	4500-7000	1	1	0	
18.	आशुलिपिक ग्रेड-1	5000-8000	2	0	2	
19.	आशुलिपिक ग्रेड-2	4000-6000	3	0	3	
20.	कनिष्ठ सहायक	3050-4590	10	0	10	
21.	चालक ग्रेड-1	5000-8000	1	-	1	
22.	चालक ग्रेड-2	4500-7000	6	6	0	
23.	चालक ग्रेड-3	4000-6000	6	5	1	
24.	चालक ग्रेड-4	3050-4590	6	1	5	
25.	सहयोगी	2550-3200	23	16	7	
	<b>कुल योग:-</b>		<b>205</b>	<b>133</b>	<b>72</b>	

